

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी  
 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग  
 नासिन कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-29, फ़रीदाबाद-121008  
 NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS  
 GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE  
 NACIN Complex, Sector-29, Faridabad-121008  
 ई-मेल/E-mail : [dg.nacen-cbec@nic.in](mailto:dg.nacen-cbec@nic.in)  
 फोन / Telephone : 0129-2504652-54  
 फ़ैक्स/Fax : 0129-2504632

File No: [NACIN/Sys/E-O/OTH/2/2021-EXAM-O/o Pr DG-NACIN-FARIDABAD](#)

दिनांक: .10.2022

वर्ष 2022-23 के लिए सीमा शुल्क एवं केंद्रीय कर विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के संवर्ग में समूह 'ग'  
 (हवलदार / एमटीएस) के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा  
 और  
 केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में अवर श्रेणी लिपिक के संवर्ग के लिए समूह 'ग' (ग्रेड वेतन  
 1800/- /एमटीएस में समूह 'ग' कर्मचारी) के अधिकारियों की पदोन्नति

### परीक्षा सूचना

- वर्ष 2022-23 के लिए अवर श्रेणी लिपिक के संवर्ग हेतु उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा 02 दिसंबर, 2022 को आयोजित की जाएगी।
- निम्नानुसार परीक्षा में तीन (03) पेपर होंगे :-

पेपर	विषय	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण अंक	समय	समयावधि (घंटे में)
पत्र- I	सामान्य अंग्रेजी	100	50	पूर्वाह्न 10:00 बजे से 11:00 बजे तक	01
पत्र- II	संख्यात्मक योग्यता और सामान्य ज्ञान	100 (50+50)	50 (25+25)	पूर्वाह्न 12:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक	01
पत्र- III	हिंदी	100	50	अपराह्न 02:00 बजे से 03:00 बजे तक	01

3. प्रश्न पत्र-II अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होंगे। अभ्यर्थियों के पास अंग्रेजी या हिंदी में उत्तर लिखने का विकल्प है, जबकि पत्र-I और पत्र-II क्रमशः अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में होंगे और उनका जबाब भी उसी भाषा में लिखना है। सभी केन्द्रों पर परीक्षा पूर्वाह्न 10:00 बजे प्रारम्भ हो जाएगी। अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) स्वविवेक से समय समय पर जारी नवीनतम भर्ती नियम (यथा संसोधित) के आधार पर करेंगे।

4. प्रश्न पत्रों (निम्न प्रारूप में) के लिए मांग ई-मेल आईडी:- [nacin.exam@icegate.gov.in](mailto:nacin.exam@icegate.gov.in) भेजी जा सकती है:-

क्र.सं.	क्षेत्र संरचना का नाम	योग्य अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पदनाम	सीसीए का विवरण (ई-मेल आईडी सहित कार्यालय का पूरा पता)	प्राधिकृत अधिकारी (एडीसी/जेसी/डीसी/एसी) जिनको प्रश्न पत्र ई-मेल के माध्यम से भेजा गया है, का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पूरा पता	प्राधिकृत अधिकारी का मोबाइल नं.	प्राधिकृत अधिकारी का ई-मेल आईडी
1.							
2.							
3.							

5. सभी सीसीए को उपर्युक्त प्रारूप में अपने अधिकार क्षेत्र से डेटा एकत्र करने और प्रश्न पत्रों की मांग सहित केवल ईमेल के माध्यम से भेजने की आवश्यकता है।

यह 18 नवंबर, 2022 तक उप निदेशक (परीक्षा), नासिन फरीदाबाद तक पहुंच जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इसके पश्चात प्राप्त किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आवश्यकता की सूचना देते समय, जिस उम्मीदवार के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है, उसके पद का नाम और रोल नंबर स्पष्ट रूप से बताया जाए। उम्मीदवारों के रोल नंबर "स्टेशन का नाम" और "पोस्ट" उपसर्ग करके दिए जा सकते हैं, जिसके लिए वे उपस्थित होना चाहते हैं (उदाहरण के लिए) दिल्ली/एलडीसी/01। कृपया रोल नंबर निर्दिष्ट करने के किसी अन्य प्रारूप से बचा जाय।

7. प्रतिनियुक्ति/लोन के आधार पर काम करने वाले उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए पात्र और इच्छुक हैं, उन्हें उनके मूल आयुक्तालय से नामित किया जाएगा। ऐसे नामांकन संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के साथ भेजे जा सकते हैं, यदि उम्मीदवार ने अपनी वर्तमान पदस्थापना में परीक्षा देने के लिए प्रतिनिधित्व किया है।

8. उक्त परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र, पासवर्ड से सुरक्षित पीडीएफ प्रारूप में, नामित अधिकृत अधिकारी को सिर्फ दिनांक 30.11.2022 को ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा। मेल की पावती और जवाब उसी तारीख को नासिन, फरीदाबाद को भेजना होगा। पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड

दिनांक 01.12.2022 को उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए।

I/806105/2022

9. यह परीक्षा नोटिस क्रमशः सीबीआईसी और नासिन वेबसाइट [www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in) एवं [www.nacin.gov.in](http://www.nacin.gov.in) पर भी उपलब्ध होगा।
10. अभ्यर्थियों की पात्रता संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा तय की जाएगी। पात्रता के प्रश्न पर किसी भी संदर्भ में नासिन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
11. परीक्षा में प्राप्तांक केवल ई-मेल के माध्यम से संबंधित सीसीए को सूचित किए जाएंगे। इसलिए, कृपया उपर्युक्त तालिका में सीसीए का सही विवरण दर्ज करें।
12. नासिन, फरीदाबाद के पास किसी अभ्यर्थी की परीक्षा या किसी केंद्र या सभी केंद्रों की सम्पूर्ण परीक्षा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि यह पाया जाता है कि अनुचित साधनों का उपयोग किया गया था या उपयोग करने की अनुमति दी गई थी या परीक्षा में किसी के साथ कोई पक्षपात या अन्याय किया गया है।
13. 'परीक्षा के लिए दिशा-निर्देश' इस पत्र के साथ संलग्न हैं, जो इस परीक्षा सूचना का अभिन्न अंग हैं।
14. अपर महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी।

(डॉ. सुरभि पाण्डेय)  
संयुक्त निदेशक(परीक्षा)

निम्नलिखित को प्रतिलिपि:

1. सभी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी
2. भारत के नार्कोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर
3. मुख्य केमिस्ट, सीआरसीएल, नई दिल्ली।
4. प्रणाली अनुभाग, नासिन, फरीदाबाद-सीबीआईसी एवं नासिन वेबसाइट पर अपलोडिंग करने हेतु।

(डॉ. सुरभि पाण्डेय)  
संयुक्त निदेशक(परीक्षा)

File No: [NACIN/Sys/E-O/OTH/2/2021-EXAM-O/o Pr DG-NACIN-FARIDABAD](http://www.nacin.gov.in)

### परीक्षा हेतु निर्देश

1. संबंधित सीसीए, जहां परीक्षा आयोजित होने वाली है, एक अधिकारी को नामित किया जाएगा, जो उक्त परीक्षा के संचालन के लिए समग्र प्रभारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत होगा और वह स्वतंत्र होकर निष्पक्ष तरीके से और इसकी गोपनीयता बनाए रखते हुए परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। प्राधिकृत अधिकारी को परीक्षा को सुचारू रूप से

संचालित करने के लिए एक पर्यवेक्षक / निरीक्षक को नामित करने की आवश्यकता है और प्रश्न पत्रों की प्रतिलिपियों की आवश्यक संख्या उनके/उनकी व्यक्तिगत देखरेख में गुप्त रूप से की जाएगी।

I/806105/2022

2. परीक्षा कार्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी की कड़ी गोपनीयता के साथ पर्यवेक्षण पर्यवेक्षक / निरीक्षक को अभ्यर्थियों को क्रमांक आवंटित करने, परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था करने, उत्तर पुस्तिकाओं जैसी मानक स्टेशनरी की आपूर्ति करने और प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी करने की आवश्यकता होती है। परीक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षी अधिकारियों/पर्यवेक्षकों को भी अनुचित साधनों के प्रयोग के मामले में किसी अभ्यर्थी या उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सम्पूर्ण केन्द्र की परीक्षा रद्द करने का अधिकार है।
3. उत्तर पुस्तिकाओं में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, या तो मुद्रित रूप में या रबर स्टैम्प लगाकर:-
  - 1) परीक्षा का नाम
  - 2) क्रमांक
  - 3) केंद्र का नाम
  - 4) परीक्षा की तिथि व समय
  - 5) पेपर व विषय का नाम
  - 6) उपयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या (पर्यवेक्षक/निरीक्षक उपयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करेंगे और पृष्ठ संख्या भी निर्दिष्ट करेंगे)।
  - 7) पर्यवेक्षक / निरीक्षक के हस्ताक्षर (सत्यापन पर कि सभी विवरण उम्मीदवारों द्वारा सही ढंग से भरे गए हैं)
  - 8) प्राप्तांक एवं अधिकतम अंक
  - 9) पर्यवेक्षक/निरीक्षक के हस्ताक्षर
4. अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका के सामने के हिस्से पर या तो मुद्रित रूप में या रबर स्टैम्प लगाकर उनके नाम /पहचान का खुलासा करने का कोई भी प्रयास और किसी भी स्रोत से नकल करने या परीक्षा के दौरान किसी के साथ बात करने जैसे अनुचित कोई भी साधनों का उपयोग या अभ्यर्थियों के किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को निरीक्षक/पर्यवेक्षक/नासिन द्वारा धोखाधड़ी माना जा सकता है एवं उनकी परीक्षा को अमान्य माना जाएगा।
5. किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिकाओं में अपना नाम लिखता है या कोई चिन्ह / प्रतीक / हस्ताक्षर आदि का उपयोग करता है जो किसी भी तरह से उम्मीदवारों की पहचान को संकेतित करता हो।
6. निरीक्षक और पर्यवेक्षक परीक्षा आयोजित करने में गोपनीयता, निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अनुचित साधन का उपयोग नहीं किया जाए, जो

किसी को भी कोई अतिरिक्त लाभ दे सकता हो और इस प्रकार दूसरों के लिए प्रतिकूल हो सकता है। सम्पूर्ण कार्य को डिजाइन और संचालित किया जाएगा ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। यदि किसी अनुचित साधन का उपयोग उसके संज्ञान में लाया जाता है, तो नासिन के पास सम्पूर्ण परीक्षा या किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार या केंद्र या केंद्रों के समूह की पूरी परीक्षा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है, । यदि आवश्यकता हो तो पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी किया जा सकता है।

7. अभ्यर्थियों की पात्रता सीसीए द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और परीक्षा के संचालन के अलावा किसी भी स्पष्टीकरण पर नासिन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया / संचालन के संबंध में किसी भी तरह का पत्राचार श्री प्रभात कुमार, अपर सहायक निदेशक (परीक्षा), नासिन, सैक्टर-29, फरीदाबाद-121008 या ईमेल आईडी: [nacin.exam@icegate.gov.in](mailto:nacin.exam@icegate.gov.in) पर किया जा सकता है।
8. परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा हॉल में या उसके आसपास मोबाइल फोन और ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करना और ले जाना सख्त वर्जित है।
9. अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में प्रथम तीस मिनट के दौरान हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, यहां तक कि पेपर पूरा होने/जमा करने पर भी और परीक्षा अवधि के दौरान पहले 30 मिनट पूरा होने के पश्चात एक समय में केवल एक ही अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।
10. प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे। अभ्यर्थियों के पास हिंदी या अंग्रेजी (हिंदी के पेपर को छोड़कर) में उत्तर लिखने का विकल्प है।
11. परीक्षा के तुरंत बाद आबंटित क्रमांक के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित उत्तर पुस्तिकाएं और उपस्थिति पत्रक सीलबंद लिफाफे में भेजे जाएंगे।
12. नासिन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तों को केवल सीसीए तक पहुंचाएगा। परिणाम [(समय-समय पर मंत्रालय/बोर्ड द्वारा) भर्ती नियमों और लागू निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छूट प्रदान करना, जैसा लागू हो] इस कार्यालय को सूचना सहित सीसीए द्वारा या सीसीए द्वारा किसी भी विधिवत अधिकृत अन्य कार्यालय द्वारा घोषणा किया जाएगा।
13. अपर महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी।

(डॉ. सुरभि पाण्डेय)  
संयुक्त निदेशक(परीक्षा)

I/806105/2022

निम्नलिखित को प्रतिलिपि:

1. सीमा शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त।
2. सीमा शुल्क (निवारक) के सभी मुख्य आयुक्त।
3. केंद्रीय जीएसटी व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त।
4. सीमा शुल्क, केंद्रीय जीएसटी व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सभी मुख्य आयुक्त।
5. सीबीआईसी के अंतर्गत सभी महानिदेशक/अपर महानिदेशक/निदेशक।
6. सीमा शुल्क के सभी आयुक्त ।
7. लेखा परीक्षा सहित केंद्रीय जीएसटी व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सभी आयुक्त।
8. भारत के नार्कोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर।
9. अपर महानिदेशक, नासिन के अधीनस्थ सभी आंचलिक/क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान।
10. मुख्य केमिस्ट, सीआरसीएल, नई दिल्ली।
11. प्रणाली अनुभाग, नासिन, फरीदाबाद-सीबीआईसी एवं नासिन वैबसाइट पर अपलोडिंग करने हेतु।

(डॉ. सुरभि पाण्डेय)  
संयुक्त निदेशक(परीक्षा)